



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 19.11.2022

थाना थानाभवन

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में शामली पुलिस द्वारा नाबालिग से बलात्कार के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को माननीय न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया:-

वर्ष 2013 में थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त यशवीर उर्फ एशवीर पुत्र भाई चन्द निवासी काकौरकलां थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना आदर्शमंडी पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 226/13 धारा 363,366,376 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय ADJ/SPL कोर्ट कैराना शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में शामली पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। शामली पुलिस के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 19.11.2022 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL कोर्ट कैराना शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त यशवीर उर्फ एशवीर उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363, व 366 में क्रमशः 05 वर्ष व 07 वर्ष कारावास एवं 2000/- व 3000/- रुपये के अर्थदंड तथा 376 भादवि एवं 3(2)5 ST/SC एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 5,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. यशवीर उर्फ एशवीर पुत्र भाई चन्द निवासी काकौरकलां थाना छपरौली जनपद बागपत।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घरों/दुकानों में हुई चोरी में 01 अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लेकर निशादेही पर चोरी की नगदी एवं मोबाइल बरामद:-

दिनांक 21.09.2022 की रात्रि में थाना झिंझाना के कस्बा चौसाना में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा दुकानों/घरों से नकदी मोबाइल एवं अन्य कीमती सामान चोरी किये जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के अनावरण हेतु लगाई गई टीमों द्वारा घटनास्थल एवं उसके आस-पास से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर अहम सुराग जुटाकर घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 चोरों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त का वारण्ट माननीय न्यायालय से बनवाकर शेष माल की बरामदगी हेतु पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेने के लिये मा0 न्यायालय कैराना में आवेदन किया था। मा0 न्यायालय द्वारा झिंझाना पुलिस के आवेदन पर उक्त अभियुक्त को 24 घंटे के पुलिस अभिरक्षा में दिये जाने के आदेश दिया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.11.2022 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त गुफरान को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार मु0नगर से लेकर झिंझाना पहुची तथा अभियुक्त से हुई पूछताछ के उपरान्त अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में उक्त चोरी से संबंधित मोबाइल एवं नकदी की बरामदगी कराई गयी है। बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. गुफरान पुत्र शौकीन निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामिली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की नकदी के 3000/- रुपये।
2. चोरी का मोबाइल (सैमसंग)

आपराधिक इतिहास गुफरान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 450/22 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिली।
2. मु0अ0सं0 474/22 धारा 398/401 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिली।
3. मु0अ0सं0 475/22 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामिली।
4. मु0अ0सं0 478/22 धारा 223/224 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद:-

आज दिनांक 19.11.2022 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त शकील उर्फ काला पुत्र समीम निवासी मौहल्ला बिजलीघर रोड एवं आसिफ उर्फ घोलू पुत्र नासीर निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कांधला जनपद शामली को मु0अ0सं0 411/22 धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित चोरी की गई लोहे की एंगल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 19.11.2022 को थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्त राशिद पुत्र राकिब निवासी ग्राम पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली एवं मोहन पुत्र राकेश निवासी घुडियापुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।